

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आङ्गा


क्रमांक:-स्था.(रान्या.से.) अवकाश / १८०५ / २०२२

दिनांक ३१.०५.२०२२

श्री राजेश गुप्ता (RJ0344), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-02, बारा को दिनांक 27.06.2022 से 08.07.2022 तक 12 दिनों का उपायित अवकाश दिनांक 25.06.2022 से 26.06.2022 एवं 09.07.2022 से 10.07.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति राहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपरिथित में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-01, बारा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-02, बारा के पद पर ही होने की संमावना है।

आङ्गा से  
  
रजिस्ट्रार (वर्गकरण)  
३०.०५.२०२२

क्रमांक अ.सा.ली.2(4)/49/2000/ ५१०४

दिनांक ३१.०५.२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-02, बारा को उनके पत्रांक 28 दिनांक 10.05.2022 के सन्दर्भ में।
- श्री राजेश गुप्ता (RJ0344), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-02, बारा।
- विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्रम-01, बारा।

३१.०५.२०२२  
राजायक रजिस्ट्रार